संख्या– 46 / xxx-2 / 2014

सेवा में,

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग– 2 देहरादून, दिनांक: 30 जनवरी, 2014

विषय– **टी0आर0एस0 सुब्रमण्यम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में।**

महोदय,

रिट पिटीशन (सिविल) 234 / 2011 टी0आर0एस0 सुब्रमण्यम व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2013 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:–

"We, therefore, direct all the State governments and Union Territories to issue directions like Rule 3(3) of the All India Services (Couduct) Rules, 1968, in their respective States and Union Territories Which will be carried out with in three months from today."

2. अखिल भारतीय सेवायें (आचरण), नियमावली, 1968 के नियम 3(3) में निम्न प्राविधान किये गये हैं:–

3(i) No member of the service shall, in the performance of his official duties, or in the exercise of power conferred on him, act otherwise than in his own best judgment to be true and correct except when he is acting under the direction of his official superior.

(ii) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter.

(iii) A member of the Service who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing, as early as possible and in such case, it shall be the duty of the official superior to confirm the direction writing.

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा निम्नानुसार प्रस्तर–2 के अनुक्रम में निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

(1) प्रत्येक लोक सेवक, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में या उसको प्रदत्त शक्तियों के क्रियान्वयन में अपने विवेक से सत्य व उचित कार्य करेगा सिवाय इसके वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में कार्य कर रहा हो।

क्रमशः 2

(2) उच्चाधिकारियों के निर्देश सामान्यतया लिखित में प्राप्त होंगे, जहां पर मौखिक आदेश अपरिहार्य हो जायें तो उच्चाधिकारी तत्काल बाद उसकी पुष्टि करेगा।

(3) लोक सेवक जिसे अपने उच्चाधिकारी से मौखिक निर्देश प्राप्त हुआ हो वह उसकी पुष्टि लिखित में यथाशीघ्र करेगा, तथा सम्बन्धित शासकीय उच्चाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह दिये गये निर्देशों की लिखित में पुष्टि करेंगे।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या– 476 / xxxi(1) / 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्।
2. आयुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव